पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अरुण कुमार वर्मा

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18263

16 मई 2023

[माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री के. विनोद चंद्रन एवं माननीय न्यायाधीश श्री मधुरेश प्रसाद]

विचार के लिए मुद्दा

क्या दिनांक 11.11.2014 के सरकारी संकल्प सं. 924 का खंड 3(ii)(घ) असंवैधानिक है?

हेडनोट्स

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—ऐसे कई किसान हैं जो 30 वर्षों से भी अधिक समय से भूमि पर निरंतर कब्ज़ा और उपभोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि वर्ष 1956 में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के लागू होने से भी पहले से—संकल्प गैर मजरूआ आम भूमि के बंदोबस्त को विनियमित करता है और प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है।

निर्णय: प्रतिकूल कब्जे का निर्धारण व्यक्ति-विशिष्ट और तथ्य-निर्भर है—याचिकाकर्ता भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण, विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का आह्वान करके मामले में आगे कार्यवाही करने का कोई मामला नहीं बना पाया है—पीड़ित व्यक्तियों को उचित कार्यवाही में प्रतिकूल कब्जे का दावा करने की स्वतंत्रता खुली छोड़ दी गई थी—रिट खारिज। (कंडिका 3, 10, 11)

न्याय दृष्टान्त

इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एवं अन्य बनाम नीरज शर्मा एवं अन्य, **2015 (1) पीएलजेआर 32 (एससी)**; बिहार राज्य एवं अन्य बनाम हरेंद्र नाथ तिवारी **2015(1) पीएलजेआर 606** ; मंगरू सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2005 (4) पीएलजेआर 654**; विजय कुमार प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2017 (1) पीएलजेआर 818**—बाध्यकारी मिसाल नहीं।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान, 1950

मुख्य शब्दों की सूची

प्रतिकूल कब्जा; जनहित याचिका; भूमि अधिग्रहण

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 11.11.2014 के सरकारी संकल्प सं 924 के खंड 3(ii)(घ) से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए: श्री राम प्रवेश शर्मा, अधिवक्ता; श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादियों के लिए: श्री साजिद सलीम खान एससी-25

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं .18263

==

अरुण कुमार वर्मा, पिताः हरिहर प्रसाद वर्मा, निवास-शिव नगर, तेलीहर, थाना -बेलदौर, जिला -खगड़िया

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, राजस्व भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
3. जिला दंडाधिकारी, खगड़िया
4. बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया
5. अंचल अधिकारी, बेलदौर, खगड़िया
6. अंचल अधिकारी, चौथम, खगड़िया
7. अंचल अधिकारी, गोगरी, खगड़िया
8. अंचल अधिकारी, परबत्ता, खगड़िया
9. अंचल अधिकारी, मानसी, खगड़िया
10. अंचल अधिकारी, खगड़िया, खगड़िया
11. अंचल अधिकारी, अल्लौली, खगड़िया

उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री राम प्रवेश शर्मा, अधिवक्ता

श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री साजिद सलीम खान एससी-25

==

गणपूर्ति : माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

(के द्वारा : माननीय न्यायाधीश श्री मधुरेश प्रसाद)

दिनांक : 16-05-2023

1. यह रिट आवेदन एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर किया गया है जिसमें दिनांक 11.11.2014 के सरकारी संकल्प संख्या 924 के खंड 3(ii)(जीएच) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है जोकि निम्नलिखित है:

> 3(ii) (घ) उपरोक्त (क), (ख) एवं (ग) की स्थितियों छोड़ कर किसी गैर मजरूआ मालिक भूमि पर किसी का दखल कब्जा पाया जाता है तो के तर्क को स्थापित करने के लिए दावा कर्त्ता को यह दिखाना होगा कि उन्होंने अथवा उनके पूर्वजों ने कब प्रश्नगत भूमि के वास्तविक मालिक अथवा उनके पूर्वजों को बेदखल किया ताकि प्रतिकूल स्वामित्व के वैधानिक अवधि की गणना हेतु प्रारम्भ की तिथि निर्धारित की जा सके।
>
> सरकार के विरूद्ध प्रतिकूल स्वामित्व के आधार पर स्वत्व निर्धारण के लिए परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 112 में निहित प्रावधान के अनुसार 30 (तीस) वर्षों की अवधि पूरी होनी चाहिए परन्तु मात्र भूमि पर कब्ज़ा, चाहे वह कितनी भी लम्बी अवधि का हो, भू. धारी के लिए विधिक अधिकार नहीं सृजित करता यदि

यह सरकार द्वारा दिया गया अनुदान नहीं हो। ऐसी लम्बी अवधि तक भूमि पर कब्ज़ा केवल किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसके विधिक अधिकार की रक्षा करता है।

सक्षम प्राधिकार को समय के विभिन्न बिन्दुओं के सापेक्ष स्पष्ट, पूर्ण एवं निश्चित साक्ष्यों पर निर्भर करना होगा। राजस्व पंजियों में प्रविष्टी यदि किसी दावाकर्ता के भूमि पर धारिता को प्रकट करती है तो उसे सही माना जा सकता है। कोई दावाकर्ता अपने दावे को अभिलेख, लगान रसीद, जमीनदारी रिटर्न आदि से स्थापित कर सकता है। यदि कोई दावाकर्ता इसे साबित करता है, अर्थात उसकी लगातार तीस वर्षों से धारिता प्रमाणित होती है तो तीस वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद उसका स्वत्त्व चिरभोग के तहत निर्मित होगा और इस प्रकार वह रैयत की परिभाषा के अन्तर्गत आएगा।

परन्तु यदि अवैध दखलकार सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन हैं, तो उनके साथ सरकारी परिपत्र के अनुसार निर्धारित सीमा तक ज़मीन की बंदोबस्ती कर दी जाएगी एवं तदुपरांत ज़मीन रैयती मानी जायेगी।

इसका अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित है :

"3(ii)(Gh) Leaving aside the situations of 'A', 'B' and 'C' aforesaid, if someone is found to be in possession of a gairmajarua owner's land, then to establish the argument of adverse possession, the claimant will have to show when he or his forefathers dispossessed the actual owner from the land in question so as to determine the date of commencement for computing the statutory period of adverse possession.

For determining the title of adverse possession against the government, a period of 30 years should be completed as per provision contained in Article 112 of the Limitation Act 1963, but only the possession over the land,

no matter how long the period may be, does not create the legal right of the land holder, if it is not a grant given by the government. The possession over the land for such a long period protects his legal right only against any other person.

The competent authority has to rely on clear, complete and definite evidence relating to different points of time. If the entry in the revenue registers reveals the holding on the land of a claimant, then it can be considered correct. Any claimant can establish it with record, land receipts and zamindari return. If a claimant proves this, his holding is proved for thirty continuous years, then after the expiry of the period of thirty years, his title will be created under prescription and thus he will come under the definition of raiyat.

But if the illegal occupiers are landless of eligible *category, then according to the government circular land will be settled with them to the prescribed extent and thereafter the land will be considered as raiyati tenant land."*

2. रिट याचिकाकर्ता *गैर-मजरूआ आम भूमि* पर निरंतर कब्जे वाले सभी व्यक्तियों को संबंधित भूमि का *"रैयत"* घोषित करने के लिए परिणामी निर्देश जारी करना चाहता है; और इस श्रेणी की भूमि की बिक्री और खरीद पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटाने की मांग करता है।

3. याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि कई किसान ऐसे हैं जो 30 वर्षों से भी अधिक समय से भूमि पर निरंतर कब्जा और उपभोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि वर्ष 1956 में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के लागू होने से भी

पहले से। परिसीमन अधिनियम की धारा 111 और 112 का हवाला देते हुए, रिट याचिका ऐसे किसानों के सरकारी भूमि के टुकड़ों पर निरंतर कब्जे से उत्पन्न अधिकारों का दावा करने का प्रयास करती है, जो 30 वर्षों से भी अधिक समय से उनके कब्जे में हैं। यह ऐसे कब्जाधारियों के पक्ष में ऐसी भूमि का नामांतरण करने के अधिकार का भी दावा करती है, जिनके कब्जे में भूमि लम्बे समय से है।

4. हमने प्रस्ताव के खंड 3(ii)(जेएएच) की जाँच की है, जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार असंवैधानिक है। यह न्यायालय यह मानता है कि अगर कोई किसान प्रतिकूल कब्जे की दलील देने और किसी भी भूमि के संबंध में अपने अधिकार का दावा करने की आवश्यकता को पूरा करता है, तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका निर्णय उस व्यक्ति के दावे के संदर्भ में किया जाना चाहिए जो उन तथ्यों पर आधारित है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग और अद्वितीय होंगे। इसलिए हम यह अधिकार उन व्यक्तियों पर छोड़ते हैं कि वे उचित कार्यवाही में उचित मंच के समक्ष ऐसी दलील उठाएं।

5. सार्वजनिक हित का कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया है जिसके लिए व्यापक घोषणा जारी करने की आवश्यकता हो और जिसकी मांग विवेकाधीन असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में तत्काल रिट कार्यवाही में की गयी है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ निर्णयों की सहायता ली है। **इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एवं अन्य बनाम नीरज शर्मा एवं अन्य, 2015 (1) पीएलजेआर 32 (एससी)** में दर्ज मामले में हम पाते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन की संपत्ति के औने-पौने दामों पर हुए आवंटन में लेखा परीक्षा विभाग द्वारा चिन्हित सरकारी खजाने को हुई भारी क्षति पर विचार कर रहा था।सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भूमि आवंटन की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना ही बंदोबस्त किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि विचाराधीन भूमि का बंदोबस्त सुयोग्य व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया गया होता तो

सार्वजनिक खजाने को हुए नुकसान से बचा जा सकता था, इस मामले में हस्तक्षेप किया है। हमें लगता है कि इस रिट कार्यवाही में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता को **इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इस मामले के तथ्य बिल्कुल अलग हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यहां लागू नहीं होता।

7. जहाँ तक **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम हरेंद्र नाथ तिवारी (2015) 1 पीएलजेआर 606** के मामले में दिए गए निर्णय का प्रश्न है, इस न्यायालय का मानना है कि उस मामले में, समन्वय पीठ कुछ व्यक्तियों द्वारा शुरू की गयी रिट कार्यवाही से उत्पन्न एक अंतर-न्यायालयीय अपील पर विचार कर रही थी, जिन्होंने अपनी ज़माबंदी को रद्द करने को यह तर्क देकर चुनौती दी थी कि ज़माबंदी 1946 में याचिकाकर्ता के पक्ष में की गई थी और सात दशकों के बाद इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर ज़माबंदी को रद्द करने की समाहर्ता की क्षमता पर भी याचिकाकर्ता (व्यक्ति) द्वारा सवाल उठाया गया था, न कि जनहित याचिका के माध्यम से।

8. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उल्लिखित अन्य दो निर्णय, **(2005) 4 पीएलजेआर 654 (मंगरू सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) और (2017) 1 पीएलजेआर 818 (विजय कुमार प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में प्रतिवेदित किए गए माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय हैं और इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी पूर्व उदहारण नहीं हैं।

9. हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों मामलों में भी, याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्ति थे जिन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

10. उपरोक्त विचार के मद्देनजर, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण, विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का आह्वान करके मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई मामला नहीं बना पाया है।

11. किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही में अपनी शिकायतों का दावा करने का अधिकार देते हुए यह रिट खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(मधुरेश प्रसाद, न्यायाधीश)

सुमित/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।